

साम्प्रदायिकता और समाधान

समाज शास्त्र का यह एकमात्र तथा अन्तिम निष्कर्ष है कि साम्प्रदायिकता को सिर्फ दबाया ही जा सकता है, कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यदि साम्प्रदायिकता उग्रवाद की दिशा में बढ़ गई होती है तो उसे एक खतरा समझकर उसे कुचलने का प्रयास करना चाहिये तथा यदि साम्प्रदायिकता आतंकवाद के साथ जुड़ जावे तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नष्ट कर देना चाहिये।

प्रवृत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर बनने वाला संगठन हमेशा ही असामाजिक हाता है चाहे वह संगठन व्यवसाय के आधार पर बना हो अथवा जाति अथवा लिंग आदि के आधार पर। पूजा पद्धति के आधार पर बनने वाले संगठन को सम्प्रदाय कहा जाता है। ऐसा संगठन जब तक हिंसा न करे तब तक वह संगठन असामाजिक ही होता है। किन्तु हिंसा में लिप्त होते ही उसकी गणना समाज विरोधी में होने लगती है। सामाजिक तो कोई संगठन होता ही नहीं। संगठन के आधार पर विश्व में दो ही सम्प्रदाय प्रमुख हैं। (1) मुसलमान (2) इसाई। प्रवृत्ति के आधार पर आकलन करें तो इसाई अपनी सुरक्षा अथवा विस्तार के लिये कूटनीति या धन का अधिक उपयोग करता है तथा किसी विशेष स्थिति में तथा वह भी सुरक्षा के निमित्त ही शक्ति का उपयोग करता है जबकि मुसलमान अपनी सुरक्षा या विस्तार के लिये प्रारंभ ही शक्ति के उपयोग से करता है। धन या कूटनीति का सहारा विशेष स्थिति में लिया जाता है। यदि प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण करें तो पूरी दुनिया में एक दो प्रतिशत मुसलमान आतंकवादी नब्बे प्रतिशत उग्रवादी तथा पाँच प्रतिशत ही शांतिप्रिय होते हैं जबकि इसाईयों में नब्बे प्रतिशत शांतिप्रिय पाँच दस प्रतिशत उग्रवादी तथा अपवाद स्वरूप ही आतंकवादी होते हैं।

भारत में पूजा पद्धति के आधार पर बने संगठनों में चार ही प्रमुख हैं—(1) मुसलमान (2) इसाई (3) संघ परिवार (4) सिख। इसाई साम्प्रदायिक आधार पर कभी उग्रवाद या आतंकवाद का सहारा नहीं लेते। अतः उनकी तो चर्चा ही अनावश्यक है। सिख समय समय पर उग्रवाद का सहारा लेते हैं, आतंकवाद का अपवाद स्वरूप। संघ परिवार आमतौर पर उग्रवाद का सहारा लेता है और आतंकवाद का नहीं। मुसलमान आमतौर पर उग्रवादी तथा आंशिक रूप से आतंकवाद का भी सहारा लेता है। इन सभी सम्प्रदायों में हिन्दू ही एकमात्र ऐसी जमात है जो न कभी संगठन का सहारा लेती है न किसी उग्रवाद का। आतंकवाद का तो प्रश्न ही नहीं है। शांतिप्रिय मुसलमान उग्रवादियों के समक्ष चुप हो जाता है जबकि शांतिप्रिय हिन्दू संघ परिवार के उग्रवाद का हमेशा ही विरोध करता है। मुसलमान पूजा पद्धति के साथ साथ स्वाभाविक रूप से संगठन के साथ जुड़ जाता है। मुसलमान शुक्रवार को होने वाली मस्जिद की नमाज के बाद संगठनात्मक चर्चा में शामिल होने को धर्म का ही एक भाग मानता है किन्तु हिन्दू पूजा पद्धति के साथ किसी संगठनात्मक चर्चा को धर्म का भाग नहीं मानता।

कोई भी सम्प्रदाय कभी सत्ता निरपेक्ष नहीं रह सकता। वह सत्ता पर नियंत्रण का प्रयास करेगा ही चाहे वह इस्लाम हो, सिख हो या संघ परिवार से जुड़ा हुआ। संघ परिवार स्वतंत्रता के पूर्व स्वयं को सांस्कृतिक संगठन बताने का नाटक करता रहा किन्तु स्वतंत्रता मिलते ही ऐसा राष्ट्र भक्त बना कि आज तक भारत ऐसी राष्ट्रभक्ति का परिणाम भुगत रहा है। सत्ता के साथ तालमेल में सिख समाज भी कभी पीछे नहीं रहा किन्तु इस्लाम का इतिहास इस मामले में सबसे खराब रहा है। आमतौर पर मुसलमान हिंसा पिपासु होता है। वह जहाँ भी रहेगा वहाँ न कभी शान्ति से रहेगा न रहने देगा। जहाँ वह बहुमत में रहेगा वहाँ अपना शरिया कानून थोपेगा। लेकिन जहाँ उसकी आबादी तीस प्रतिशत से कम होगी वहाँ उस देश के किसी एक भाग में इकट्ठा होकर उस भाग का देश से अलग करने की कोशिश करेगा। मुसलमान यदि बहुमत में होगा तो अल्पमत को समान अधिकार भी नहीं देगा किन्तु अल्पमत में होगा तो बहुमत से विशेषाधिकार माँगेगा। सारी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ मुसलमान समान अधिकार से संतुष्ट रहें। यहाँ तक कि चीन और रूस में भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। मुसलमान रात को स्वप्न में भी किसी न किसी टकराव में उलझा रहता है। यदि टकराव के लिये अन्य धर्मावलम्बी न मिले तो सुफियों को मारेगा, अहमदिया से टकरायेगा, शिया सुन्नी से लड़ेगा और यदि कोई न मिले तो मुसलमानों में ही दो गुट बनाकर एक दूसरे से लड़ेगा। बोकाहरम द्वारा की जा रही हत्याओं में न मरने वाला हिन्दू है न मारने वाला। दोनों ही पक्ष मुसलमान हैं। इराक या पाकिस्तान का हाल भी भिन्न नहीं। न मुसलमान कश्मीर को शान्त रहने

देगा न चिचेन्या को और न ही लेबनान को। मजबूत होगा तो न्याय की बात नहीं करेगा किन्तु कमजोर होगा तो सम्पूर्ण विश्व में न्याय और मानवता की भीख मांगता फिरेगा।

अभी-अभी दो घटनाएँ एक साथ घटी। फ्रांस में एक घटना घटी तो दूसरी भारत में। फ्रांस में किसी पत्रकार ने मुहम्मद साहब का एक कार्टून छापा। यह कार्टून कुछ वर्ष पूर्व छपा था जिस पर दुनिया भर के मुसलमानों ने उपद्रव किया था। विरोध और उपद्रव अलग-अलग होता है। मुसलमानों ने विरोध न करके उपद्रव किया था। किन्तु विश्व भर के देशों में उपद्रव करने के बाद भी कुछ अतिवादी मुसलमानों को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने पत्रिका के मीडिया कर्मियों की हत्या करके स्वयं भी मारे गये। हत्यारों ने हत्या करके पत्रकारों को दोजरव या नर्क और स्वयं को जन्नत या स्वर्ग तक पहुँचा दिया। डर है कि हत्यारे वहाँ भी पहुँच कर उन पत्रकारों से विवाद कर सकते हैं। मुस्लिम देशों को छोड़कर भारत सहित अन्य सभी देशों में घटना की निन्दा हुई। किसी निन्दा के साथ कोई किन्तु परन्तु नहीं था। घटना के विरोध स्वरूप फ्रांस में चालीस देशों के कई लाख लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध किया। कार्टून छपने के विरुद्ध दुनिया भर के मुसलमानों का उपद्रव और मुस्लिम आतंकवादी हिंसा के विरुद्ध अन्य लोगों का शांति प्रिय विरोध एक प्रकार से तुम्हारे गाल पर तमाचा के अलावा कुछ और नहीं। फ्रांस में मारे गये पत्रकारों की याद में उस पत्रिका ने वही कार्टून फिर छापा जिसकी तीस लाख प्रतिया हाथों हाथ बिक गई। विरोध के इस तरीके के बाद भी यदि साम्प्रदायिक मुसलमान शर्मिन्दा न हों तो शर्म का ही प्रभाव घटा मानना पड़ेगा।

हम भारत में इस घटना की प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत में इस क्रिया की प्रतिक्रिया ठंडी ही रही। साम्प्रदायिक हिन्दुओं की प्रतिक्रिया का कोई महत्व नहीं। पत्रकारों द्वारा किया गया विरोध स्वाभाविक था। किन्तु भारत के किसी मुस्लिम धर्मगुरु या नेता ने स्पष्ट विरोध नहीं किया। सब का विरोध उसी तरह किन्तु परन्तु लगाकर था जैसा संघ के लोग गाँधी हत्या के विरुद्ध किन्तु परन्तु लगाया किया करते हैं। मुसलमान समर्थक राजनैतिक दल भी या ता चुप रहे या गोलमोल प्रतिक्रिया देते रहे। कांग्रेस के लोगों ने तो और भी कमाल का काम किया। उनके प्रवक्ता मणिशंकर अच्यर ने तो घूमा फिराकर आंशिक रूप से हत्याकांड का औचित्य ही सिद्ध कर दिया। फ्रांस में घटी घटना के समान ही भारत में भी ऐसी ही घटना घटी थी। एक मुसलमान कार्टूनिस्ट मकबूल फिदा हुसेन ने हिन्दू देवी देवताओं के अश्लील कार्टून बनाये। आम मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि फिदा हुसेन गलत है। भारत के आम हिन्दुओं में कोई उत्तेजना नहीं आई। संघ परिवार ने विरोध किया जो उनका राजनैतिक पेशा है। अधिकांश हिन्दू पत्रकारों ने फिदा हुसेन का समर्थन किया। वे संघ विरोध को देखते हुए स्वेच्छा से भारत से चले गये। किसी ने उन्हें जीते जी स्वर्ग या नर्क पहुँचाने की कोशिश नहीं की। मैं स्पष्ट हूँ कि यदि ऐसी घटना किसी मुस्लिम देश में होती तो इश निन्दा कानून ऐस व्यक्ति को फांसी दे देता बल्कि सरकारी फांसी के पूर्व ही धर्मान्ध मुसलमान उसे मारकर अपने सशरीर स्वर्ग जाने का मार्ग बना लेते।

फ्रांस की घटना के साथ साथ भारत में भी एक घटना घटी जिसमें भारत के हिन्दुओं की पहचान कसौटी पर थी। एक मुसलमान कलाकार के नतृत्व में एक फिल्म पीके बनी। फिल्म में हिन्दू धर्मान्धता पर व्यंग्य किया गया था। हिन्दू धर्मगुरुओं ने व्यावसायिक कारणों से बहुत विरोध किया। लेकिन भारत के आम हिन्दुओं ने फिल्म की प्रशंसा की। शंकराचार्य भी विरोध स्वरूप मैदान में आ गये। बाबा रामदेव ने भी खुला विरोध किया किन्तु बाबा रामदेव के अनन्य समर्थक वेद प्रताप जी वैदिक ने फिल्म का खुला समर्थन किया। फिल्म इस कदर चली कि बनाने वाले मालामाल हो गये। सभी हो हल्ला करने वाले पेशेवर धर्मगुरु ठंडे हो गये फ्रांस में घटी घटना में भारत के मुसलमानों और भारत में दिखाई गई फिल्म पीके में भारत के हिन्दुओं की भूमिका यह फर्क करने के लिये पर्याप्त है कि इस्लाम अपने आचरण से सम्प्रदाय की दिशा में बढ़ रहा है और हिन्दुत्व अपने आचरण से धर्म की ओर।

भारत में मोदी जी की सरकार संघ की सहायता से ही बनी है। मोदी जी हिन्दुत्व की दिशा में बढ़ना चाहते हैं और संघ उसमें बाधा पैदा कर रहा है। मोदी जी चाहते हैं कि सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। संघ चाहता है कि लाठी तो टूट जाय चाहे सांप मरे या न मरे। अन्य विपक्षी दल चाहते हैं कि सांप भी न मरे और लाठी भी टूट जाय। मोदी जी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और संघ परिवार मुस्लिम साम्प्रदायिकता की जगह हिन्दू साम्प्रदायिकता स्थापित करना चाहता है। मोदी जी हिन्दू रीति नीति से साम्प्रदायिकता का समाधान चाहते हैं और संघ परिवार इस्लामिक तरीके से।

मरे विचार में साम्प्रदायिकता एक जहर है। इस जहर का उपयोग चाहे हिन्दू करें या मुसलमान, प्रभाव बराबर का ही होगा। साम्प्रदायिकता का समाधान दो तरीके से संभव है। (1)समान नागरिक संहिता(2)धर्म स्वातंत्र कानून। समान नागरिक संहिता आवश्यक है, समान आचार संहिता नहीं। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की छूट होगी किन्तु धर्म परिवर्तन कराने के प्रयत्नों पर रोक होगी। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे कानून बने हुए हैं। संघ परिवार ऐसे प्रयत्नों को जानबूझकर विवादास्पद बना रहा है।

मेरा स्पष्ट मत है कि इस्लाम के अनुयायियों का जैसा आचरण विश्व में दिख रहा है वह बहुत ही खतरनाक है। अब तक इस्लाम इसी खतरनाक मार्ग पर चलकर इतना आगे बढ़ने में सफल रहा है किन्तु लगता है कि यह खतरनाक मार्ग इस्लाम की समाप्ति का भी आधार बन सकता है। सारी दुनिया में मुसलमान संदेह के घेरे में हैं। अब मुसलमानों को बहुत तेज गति से साम्प्रदायिक गतिविधियों से बाहर निकलना होगा। पहले कदम के रूप में मुसलमान को इस्लामिक संगठन से दूरी बना लेनी चाहिये। शुक्रवार को दोपहर मस्जिद में नमाज के नाम पर इकट्ठा मुसलमान नमाज के बाद संगठनात्मक चर्चा करता है। शान्तिप्रिय मुसलमानों को नमाज के बाद की चर्चा से दूरी बनानी चाहिये। साम्प्रदायिक हिन्दू यदि भड़काने वाला काम करें तो शान्तिप्रिय मुसलमानों को भड़काने से नहीं भड़कना चाहिये। मुसलमानों को पूजा पद्धति और संगठनात्मक गतिविधि का अन्तर समझना चाहिये। दूसरी बात यह है कि मुसलमान अपने को वोट बैंक न बनने दें। अल्पसंख्यक राजनीति करने वाले धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आप इन मरणासन्न दलों को इकट्ठा वोट देकर भो जीवित नहीं रख पायेंगे। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप बहुसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय का विश्वास प्राप्त करें। आप भूल जायें कि आप विश्व मुस्लिम बिरादरी के अंग हैं। आप महसूस करिये कि आप पूजा पद्धति में ही अलग हैं शेष मामलों में आप भारतीय हैं। संघ परिवार और हिन्दू न कभी एक हैं न होंगे। इसी तरह संघ परिवार और नरेन्द्र मोदी भो एक नहीं होंगे क्योंकि मोदी हिन्दू हैं। दो हजार दो में ही मोदी ने संघ परिवार से हटकर अपना नया मार्ग चुन लिया है। यह आपके उपर है कि आप मोदी और संघ के बीच अपने को कहाँ रख पाते हैं। यदि अवसर मिला तो अशोक सिंघल, प्रवीण तोगडिया, अकबरुद्दीन, आजमखाँ जैसे साम्प्रदायिक लोग एक ही कटघरे में बन्द किये जायेंगे। साम्प्रदायिकता सिर्फ साम्प्रदायिकता होती है। न हिन्दू साम्प्रदायिकता ठीक होती है न ही मुस्लिम साम्प्रदायिकता।

फिर भी आज मुस्लिम साम्प्रदायिकता अपनी सारी सीमाएँ तोड़ने में उपर दिख रही है। इस समय मुस्लिम साम्प्रदायिकता से टकराव विश्व की पहली आवश्यकता है। इस मामले में दुनिया मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रही है। भारत भी उस एकजुटता में शामिल है। वैसे तो आतंकवाद कई रूपों में व्याप्त है किन्तु मुस्लिम आतंकवाद सबको पीछे छोड़कर अकेले आतंक का पर्याय बन गया है। भारत का संघ परिवार मेरी मुर्गी की तीन टांग के रूप में इस विश्व एक जुटता में बाधक है। साम्प्रदायिकता के खिलाफ सभी हिन्दू मुसलमान इसाई सिख सबको एकजुट हो जाना चाहिये। सौभाग्य से नरेन्द्र मोदी के रूप में एक नेता मिला है। कहीं मजबूरी में मोदी साम्प्रदायिक हिन्दुओं से दब न जायें यह सभी शान्तिप्रिय भारतीयों का कर्तव्य है। याद रखिये कि शान्ति में हिन्दू, मुसलमान, इसाई, सिख आदि पूजापद्धतियों कहीं न आज तक बाधक रहीं हैं न रहेंगी। भारत साम्प्रदायिकता के टकराव से मुक्त होना चाहिये। हम पिछले पैंसठ वर्ष साम्प्रदायिकता तथा सत्ता के गठजोड़ के परिणाम देखते-देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गये। अब हम पूरी ताकत से ऐसे गठजोड़ को अस्वीकार कर दें। चाहे हमारे परिवार का मुखिया हो या देश का, साम्प्रदायिकता आपका वर्तमान तथा भविष्य दोनों ही बिगाड़ सकती है। आवश्यकता है कि हम नयी परिस्थितियों के आधार पर स्वयं को ढालने की आदत डालें।

इस तरह हमने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को पैंसठ वर्षों तक संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जो असफल हुआ क्योंकि यह कार्य प्रकृति विरुद्ध था। मुस्लिम साम्प्रदायिकता उग्रवाद की दिशा में बढ़ो किन्तु हमने कभी उसे कुचलने का प्रयास नहीं किया। परिणाम स्वरूप वह आतंकवाद की दिशा में बढ़ गई। अब सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसे नष्ट करना ही एक मात्र मार्ग है। इस कार्य में साम्प्रदायिक, हिन्दू, सिख, मुसलमान, इसाई सबका सहयोग लिया जा सकता है किन्तु हिन्दू, सिख, इसाई साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन की कीमत पर नहीं। हमें याद रखना चाहिये कि साम्प्रदायिकता को न कभी संतुष्ट किया जा सकता है न ही पूजा पद्धति के आधार पर बांटा जा सकता है। उसे तो जन्म के पूर्व कोख में ही मार देना सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग है।

(1)रामकृष्ण पौराणिक,सागर,मध्यप्रदेश,ज्ञानतत्व 44283

ज्ञानतत्व 304 पढ़कर कुछ विचार उठे:-

(1)मैं आपके इस विचार से पूर्ण सहमत हूँ कि व्यक्ति आधारित राज्य व्यवस्था के स्थान पर समाज आधारित व्यवस्था अधिक उपयुक्त है। इसमें जातिवादी तथा परिवारवादी वंशवाद पर आधारित राजनैतिक तंत्र पहली बाधा है। वास्तव में ये सब सामंतवाद के अवशेष तथा साम्राज्यवाद,पंजीवाद के ही आराधक व्यक्तिवादी, सुविधाभोगी,कुलोनतंत्रोय वर्ग के अनुयायी हैं। इन सब ने मिलकर भारत में साम्प्रदायिकता का माहौल बना रखा है। विश्व हिन्दू परिषद की स्थापना श्री गोलोवलकर जी ने प्रयाग में समस्त हिन्दू सम्प्रदायों से परामर्श और मार्गदर्शन के बाद की थी जिसका ध्येय भारत में हिन्दूओं को भीड़तंत्र से निकालकर समस्त एक जातीय रूप देना था और परस्पर अनेकता को एकत्व में संगठित करना था। मंदिर बनाना या मस्जिद तोड़ना नहीं जैसा भारतीय जनता पार्टी क महत्वाकांक्षी राजनेताओं ने किया। उसन विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े पंडे पुजारी तथा बजरंग दल के कुछ उपद्रवी तत्वों को शामिल करके ऐसा विध्वंसक रूप बनाया। यही स्वरूप हिन्दू समाज की त्रासदी बन गया और अब यही तत्व धर्म परिवर्तन कराने का नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसे तत्वों को भले ही प्रोत्साहित न करे लेकिन मजा तो ले ही रही है। इन सबको मिलकर समग्रता में देखें तो देश में गाँधीवादी चिन्तनधारा और ग्रामस्वराज्य ही उचित दिखता है।

(2)आपने जिन तीन बिन्दुओं को केन्द्र में रखकर यात्राएँ शुरू की है उनमें से पहले बिन्दु परिवार,गाँव,जिले को संवैधानिक अधिकार देना तथा दूसरे बिन्दु राईट टू रिकाल को मैं ठीक समझता हूँ।

(3)लोकसंसद शब्द तो महत्वपूर्ण है परन्तु इसकी स्थापना होना मुझे समझ में नहीं आ रहा,कि इसे कौन करेगा? इसके साधन कहा से आर्येंग?,उसका स्वरूप कैसा होगा?

(4)आपका चौथा प्रस्ताव आश्चर्यजनक है कि इस धन की पूर्ति कहाँ से होगी।

आशा है कि आप अस्पष्ट बिन्दुओं को और स्पष्ट करेंगे।

उत्तर:-लोकसंसद शब्द बिल्कुल नया है, किन्तु आवश्यक भी है। वर्तमान संसद के अधिकारों की सीमायें निश्चित करने का कोई मार्ग होना ही चाहिए। हम जिस संविधान को ऐसी सीमायें निश्चित करने वाला दस्तावेज मान रहे हैं, वह संविधान भी घुमाफिराकर संसद के ही नियंत्रण में है। समाज के क्या अधिकार हो,यह तो संसद तय कर सकती है किन्तु संसद के क्या अधिकार हो इसमें समाज की कोई भूमिका नहीं होती। इसलिए आवश्यक है कि संसद के अधिकारों पर समाज के नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था के लिए अन्ना जी ने जन संसद का नाम दिया। इस जन संसद का स्वरूप जनमत संग्रह बताया गया। कल्पना करिये कि संसद बनने के बाद तत्काल संविधान में कोई संशोधन करना चाहें तो ऐसे संशोधन के लिए भी जनमत संग्रह करने का प्रस्ताव अस्वाभाविक लगता है। इसलिए हम लोगों ने एक छोटी कमेटी का प्रस्ताव दिया जो संविधान संशोधन की स्थिति में संसद और समाज के बीच पुल का काम करेगी। इस संबंध में हमारा एक सुझाव तो यह रहा कि उच्च कॉलेजो के प्रिंसिपल में से सौ लोगों का इस तरह चुनाव किया जाये कि सिर्फ कॉलेजो के प्रोफेसर ही मतदाता हों। ये प्रिंसिपल या प्रोफेसर सरकारी कॉलेजो से होंगे जो राजनीति में भाग नहीं ले सकते।यह सौ लोगो की टीम बाहर से पाँच या दस पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व न्यायाधीश में से चुनकर एक सौ दस की लोक संसद बना सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव ये रहा कि वर्तमान संसद के साथ ही पाँच सौ तैंतालोस निर्दलीय लोगों का चुनाव कराकर उसे लोकसंसद का रूप दे दे। मेरा तीसरा सुझाव भी है कि प्रत्येक दस हजार मतदाताओं में से लॉटरी द्वारा एक नाम निकालकर उन लोगों की एक लोक संसद बना दी जाये। ऐसे सुझाव और भी हो सकते हैं जिन पर बैठकर हम कोई स्वरूप बना सकते हैं। किन्तु लोक संसद चाहे जिस तरह भी बने, बननी अवश्य चाहिए।आपने चौथे सुझाव के विषय में पूछा है कि धन कहाँ से आयेगा तो इस संबंध में मेरा स्पष्ट सुझाव है कि कृत्रिम उर्जा का मूल्य उस सीमा तक बढ़ाया जायेगा, जिससे आधी गरोब आबादी को दो हजार रुपया प्रतिमाह प्रति व्यक्ति जीवन भत्ता मिल सके। मैं जीवन भत्ता का बोझ वर्तमान व्यवस्था पर नहीं डाल रहा। इसके साथ ही आर्थिक मुद्दे पर मेरा यह भी सुझाव है कि अनेक प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स तथा अन्य अनेक प्रकार को दी जाने वाली आर्थिक छूट को समाप्त कर दिया जाये।

(2) सत्यपाल शर्मा, बरेली, ज्ञानतत्व 6894

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम नेताओं के दबाव से मुक्त है। इससे पूर्व मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार मुस्लिम कट्टरवाद के दबाव में काम करती थी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार भी आजमखॉ जैसे कट्टर नेताओं के दबाव में शासन चला रही है। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के जन्म दिन पर लंदन से विक्टोरिया बग्घी मंगाई गई और भव्य जश्न में करोड़ों रुपये खर्च किए गये। जब पत्रकारों ने धन खर्च करने के बारे में पूछा तो उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजमखॉ ने कहा कि यह तालिवानी फंड है, दाउद इब्राहीम और अबू सलेम ने पैसा दिया है। मंत्री आजमखॉ के राष्ट्र विरोधी बयान पर समाजवादी पार्टी को उनका खिलाफ कार्यवाही करने का साहस नहीं है। प्रदेश के राज्यपाल ने आजमखॉ के अनगल बयान पर कड़ी नराजगी व्यक्त की है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की सपा सरकार दिशाहीन और दबाव में शासन कर रही है। कृपया अपने ओजस्वी विचारों से अवगत करायें।

उत्तर:—मैं नहीं समझता कि आजमखॉ ने जो कहा वही उनका आशय था। यदि किसी ने व्यंग्यात्मक रूप से किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया तो उस शब्द का वास्तविक अर्थ ही लेना चाहिए, भाषागत नहीं। इसके बाद भी जो आदमी सन्तुलित बोलता हो और जिसको कटघरे में खड़ा करने के लिए आपको कोई अवसर न मिले तब तो ऐसे व्यंग्य को आधार बनाकर बात का बतंगढ़ बनाया जा सकता है। किन्तु आजमखॉ तो रोज ही उटपटांग बोलते हैं तो किसी व्यंग्य को तोड़मरोड़कर आलोचना का आधार बनाना आप जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं। समाजवादी पार्टी द्वारा इस बात को आगे रखकर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं। मुलायम सिंह के जन्म दिन पर जो खर्च किया गया उसकी आलोचना करने के पूर्व यह भी बताना आवश्यक होगा कि अन्य राजनैतिक दल ऐसे फालतू खर्च नहीं करते। यदि सभी राजनैतिक दल ऐसा ही उटपटांग खर्च करते हैं तो एक ही दल की आलोचना में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आजमखान के इस बयान की आलोचना करके अपनी प्रतिष्ठा गिराई है। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर चल रही है। यह बात जगजाहिर है। फिर जगजाहिर बात में इस लचरव्यंग्य को जोड़ना उचित नहीं है। ऐसी बातों से ऐसा आभाष होता है कि कही हम किसी पक्ष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं।

(3) कृष्ण गोपाल मित्तल, कर्नाल, हरियाणा, ज्ञानतत्व 60115

आपकी भेजी हुई पुस्तक ज्ञानतत्व हर महिने दो पुस्तक प्राप्त होती है, जो काफी अच्छी है। अतः आप इनमें कुछ धार्मिक बातें व नये भजन और शिक्षा पर छपवाएँ ताकि पढ़ने वाले के मन पर असर हो और सुधार ला सके।

उत्तर:—ज्ञानतत्व अन्य पत्रिकाओं अथवा पुस्तकों से भिन्न है। ज्ञानतत्व का उद्देश्य न धार्मिक है, न राजनैतिक, न ही हमारा उद्देश्य समाज सेवा या समाज सुधार करना है। ज्ञानतत्व का उद्देश्य “सोशियो पॉलिटिकल” अर्थात् समाज और राजनीति को मिलाकर विचार मंथन को प्रोत्साहन करना है। धार्मिक भजन व्यक्ति में सुधार लाने का माध्यम है, जो हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि यदि मैंने एक टीबी का अस्पताल खोला ह तो मैं उसमें कैंसर के रोगी को भर्ती नहीं करूँगा, चाहे उसका इलाज करना कितना भी आवश्यक क्यों न हो।

(4) उमाशंकर नागर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, ज्ञानतत्व 40405

पत्र मिला धन्यवाद मैं अपने स्तर पर तन-मन-धन से ज्ञानतत्व को सहयोग करता रहा हूँ। ज्ञानतत्व के सम्पादक एवं पाठकों के विचार मौलिक होकर विचारणीय हैं। तथापि ग्रामजन विशेषरूप से शहरों से जुड़े ग्रामजन में अब पूर्वानुसार सच्चाई ईमानदारी सहयोग की भावना का निरन्तर ह्रास हो रहा है। ह्रास ही नहीं अपितु स्वार्थ बुद्धिमानी धूर्तता जैसे अवगुण तेजी से पनप रहे हैं। अतः शहरी नागरिकों की अपेक्षा ग्रामजन के माध्यम से स्वराज की बात करना कुछ अधिक अपेक्षित लगता है।

उत्तर:—यह बात सही नहीं है कि शहरों में गावों की अपेक्षा अधिक तेजी से भ्रष्टाचार या धूर्तता बढ़ रही है। सच्चाई यह है कि धूर्तता, स्वार्थ जैसे अवगुण सम्पूर्ण भारत में एक समान ही बढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि

वर्तमान में गांवों की अपेक्षा शहरों में यह बोनारी अधिक दिख रही है किन्तु यह भी सच है कि आज से 50-60 वर्ष पूर्व भी यह बोनारी गांवों की अपेक्षा शहरों में ज्यादा थी। हमारा उद्देश्य समाज सुधार नहीं है बल्कि भारत की राजनीति ने समाज को गुलाम बनाकर रखा है उससे समाज को मुक्ति दिलाना है। हम समाज सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे, बल्कि राज्य कमजोरो करण की बात कर रहे हं। समाज सशक्तिकरण की बात करने वाले अनेक धर्मगुरु या तथाकथित सामाजिक संगठन आपको गली-गली मिल जायेंगे। फिर भी आप देख रहे है कि चरित्र लगातार गिर रहा है, चाहे गाँव हो या शहर। सच्चाई यह है कि जितनी तेज गति से राजनीति चरित्र पतन कर रही है उसकी अपेक्षा चरित्र निर्माण की गति बहुत कम है। कल्पना करिये कि सड़क पर गंदा करने की आदत कुछ लोगों की है और हम उसे साफ करने की कोशिश कर रहें है। हम देख रहे है कि गन्दगी फैलाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और हम पूरी मेहनत करके भी साफ नहीं कर पा रहें है। बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि हम कवल साफ ही करते रहे और राजनीति गन्दगी ही फैलाती रहें। बल्कि बुद्धिमानी इस बात में है कि कोई एक समूह गन्दगी फैलाने वालों पर नियंत्रण का भी प्रयास करें। ज्ञानतत्व गन्दगी फैलाने वालो को रोकने में लगा है। यह कार्य न सिर्फ गाँव से होगा न ही शहरों से क्योंकि भारत में संविधान का शासन है और सारी गन्दगी फैलाने के लिए संविधान ही दोषी है भारत का संविधान चरित्रहीन राजनेताओं की ढाल बना हुआ है। जब तक भारतीय संविधान पर राजनेताओं की अपेक्षा समाज का नियंत्रण नहीं बढेगा तब तक यह ढाल बनी ही रहेगी।

(5)लक्ष्मी प्रसाद मित्तल,मुर्ना , ज्ञानतत्व 43280

भारत में जिस समुदाय को हम मुसलमान कहते है,वह दरअसल एक विविध वर्गीय समाज है। भारत में 584 ऐसे समुदाय हैं जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ये समुदाय सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में पूरे देश में एक सा नहीं है। जीव वैज्ञानिक, भाषायी और सांस्कृतिक परिदृश्य में ये शेष समुदायों से ज्यादा मेल खाते है। ये समुदाय पूरे देश में फैले हैं- मैदानी भागों में,पहाड़ी क्षेत्रों में,समुद्री किनारों पर,अर्धशुष्क क्षेत्रों में और रेगिस्तानी भागों में। भाषायी दृष्टि से ये लगभग बावन भाषाएँ बोलते है। इसमें मारवाडी, गढ़वाली, हरियाणवी,कच्छी आदि शामिल हैं। कई तो केवल 156 समुदाओं द्वारा बोली जाती है। भारत में अरबी केवल एक समुदाय द्वारा बोली जाती है। तिरपन समुदाय अभी भी वर्ण व्यवस्था में अपने स्थान का स्मरण रखे हुए है। ग्यारह मुस्लिम समुदाय शाकाहारी हैं। अनेक मुस्लिम समुदाय गो माँस नहीं खाते। राजस्थान के 44 मुस्लिम समुदायों में 32 गोमाँस नहीं खाते।व्यवसाय की दृष्टि से ये सभी व्यवसायों में शामिल हैं। बुनकर, राजगिरी,बढ़ईगिरी,सुनारी,टोकरी बनाना।खाल निकालने का काम केवल 0.16 प्रतिशत ही करते है।अनेक समुदायों में धर्मान्तरण से पूर्व के संस्कार आज भी हैं। अनेक मुस्लिम महिलाएँ चूड़ियों पहनती है। लौंग, विछुआ,मंगलसूत्र,सिन्दूर,बिन्दी,नथनी,आदि अनेक मुस्लिम महिलाओं में उनके विवाहित होने की पहचान है।अभी सन् 2013 तक मुजफ्फर नगर के जाटां और मुसलमानों की एक जैसी परम्पराएँ थी और सामाजिक रीतिरिवाजों यहाँ तक कि दोनों में सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध था।

शिया सुन्नी और अहमदिया,खोजा, आदि भेदों के अलावा भारत के मुसलमान अशरफ(श्रष्टी वर्ग) अजलफर(कारीगर वर्ग)और अरजल(अपवित्र काम करन वाली विरादरियों)में बंटे है। इन्हें क्रमशः हिन्दुओं के उच्चजाति वर्ग,ओबीसी और दलितों के समकक्ष कहा जा सकता है।

गुजरात की तीन व्यवसायी बिरादरियाँ-बोहरा,कच्छी मानव व खोजा रोजगार की दृष्टि से सम्पन्न हैं परन्तु उन्हें उच्चवर्गीय मुसलमानों से भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

केन्द्र में व राज्यों में यद्यपि मुसलमान प्रतिनिधि हैं, परन्तु इनमें पिछले वर्ग के मुसलमान न के बराबर हैं। पिछले मुसलमान कुल मुस्लिम समुदाय के 90 प्रतिशत ह। परन्तु पहली, से चौदहवी लोकसभा तक केवल पाँच पिछड़े मुसलमान सदन के सदस्य बन पाये।

भारतीय परिदृश्य में हिन्दू-मुसलमान रिश्तों को देखने का नजरियों तथ्यों पर आधारित होना चाहिये न कि कुछ अवसरवादी साम्प्रदायिक ताकतों के हाथ में। दिल्ली में फूल वालों की सैर शायद एक और उदाहरण हो जहाँ हिन्दू

फूलों से बना पंखा योग माया मंदिर में चढ़ाते हैं और मुसलमान इसी प्रकार का पंखा और फूलों की सेज ख्वाजा बख्तियार को।

उत्तर:- यह सही है कि भारत में मुसलमानों में भी अनेक गुट है। किन्तु वे आपस में बटे हुए होने के बाद भी सुन्नी समुदाय से दब जाते हैं। अभी-अभी जानकारी आई है कि भारत में कुल आबादी 18 प्रतिशत बढ़ी है तो सिर्फ मुसलमानों की चौबीस प्रतिशत। इसका अर्थ है कि मुसलमानों को छोड़कर शेष आबादी लगभग 14 से 15 प्रतिशत ही बढ़ी होगी। इससे यह भी आभास होता है कि मुसलमानों के 584 फिरको में से अधिकांश इस प्रवृत्ति में सम्मिलित होंगे। मैंने पाया है कि यदि मुस्लिम समुदाय से लड़ने के लिए कोई अन्य समुदाय न हो तब ही वे आपस में लड़ते हैं। भारत में 584 समुदाय होते हुए भी इक्का-दुक्का सिया-सुन्नी विवादों को छोड़कर किसी अन्य मामले में उनका आपसी टकराव नहीं होता जबकि अन्य समुदायों से लड़ने के लिए वे निरंतर तैयार रहते हैं। मैं आपके इस निष्कर्ष से तो सहमत हूँ कि भारतीय परिदृश्य में हिन्दु-मुस्लिम रिश्तों को देखने का नजरिया कुछ अवसरवादी साम्प्रदायिक ताकतों के आधार पर न होकर तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आम मुसलमान और आम हिन्दू के बीच तथ्य न देखने की गलती हिन्दू कर रहा है मुसलमान नहीं। मैं तो समझता हूँ कि साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर भारत के मुसलमानों को ज्यादा समझाने की जरूरत है और उनमें से भी जो न समझना चाहे उन्हें बलपूर्वक समझाना चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि भारत सरकार अपनी सारी शक्ति लगातार भारत में समान नागरिक संहिता लागू कर दे तो सम्भवतः हिन्दू-मुसलमान, आदिवासी, हरिजन, सवर्ण, स्त्री-पुरुष, के झगड़े तत्काल समाप्त हो सकते हैं।

(6)नानूराम लबाना,इन्दौर,मध्यप्रदेश, ज्ञानतत्व 40343

विचार:-ज्ञानतत्व में आपने बारह प्रश्न पूछे थे। आपके प्रश्न तथा मेरे विचार से उसका उत्तर इस प्रकार है-

प्रश्न-1- संविधान, मूल अधिकार तथा अपराध की परिभाषा क्या है?

प्रश्न-2- पारिवारिक संबंधों से भिन्न स्त्री पुरुषों के बीच दूरी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिये या दूरी घटाने या बढ़ाने का निर्णय स्वयं को या परिवार को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये?

प्रश्न-3-स्वतंत्रता के बाद भारत में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ कितनी गुना महंगी हुई हैं आर उस महँगाई का आधी निचली आबादी पर क्या और कितने गुना प्रभाव पड़ा?

प्रश्न-4-संसद संविधान से उपर होती है या नीचे?

प्रश्न-5-परिवार का संचालक प्राकृतिक रूप से नियुक्त होना चाहिये या लोकतांत्रिक तरीके से?

प्रश्न-6-परिवार व्यवस्था में लोकतंत्र आना चाहिये या नहीं?

प्रश्न-7-राज्य के दायित्व तथा स्वैच्छिक कर्तव्य कोन-कौन से है?

प्रश्न-8-धर्म, समाज तथा राष्ट्र में से कौन उपर होता है? कौन नीचे?

प्रश्न-9-मैंने पाँच प्रकार के अपराध (1)चोरी डकैती लूट(2)बलात्कार(3)मिलावट कमतौल(4) जालसाजी धोखा (5)हिंसा बलप्रयोग, आतंक तथा छः प्रकार की कृत्रिम समस्याएँ(1)भ्रष्टाचार (2)चरित्र पतन(3)साम्प्रदायिकता(4)जातीय कटुता(5)आर्थिक असमानता (6)श्रमशोषण। कुल मिलाकर ग्यारह समस्याएँ लिखी। इन ग्यारह में से आप किसे सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं तथा किसे सबसे कम?

प्रश्न-10- समान नागरिक संहिता और समान आचार संहिता में क्या फर्क है?

प्रश्न-11-व्यक्ति और नागरिक में फर्क है या नहीं। है तो क्या?

प्रश्न-12-यदि भारत की आधी आबादी को दो हजार मूल रुपया प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति देकर ऊर्जा की भारी मूल्य वृद्धि करके भरपाई कर ली जाये तो भारत की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग भत्ता लेना चाहेंगे और कितने सस्ती ऊर्जा?

उत्तर:- (1)संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विशिष्ट कानूनी पवित्रता होती है। जो सरकार के अंगों (कार्यपालिका,विधानपालिका,न्यायपालिका)के ढाँचे और उनके प्रमुख कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उन

अंगो के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करता है। (2) मूलअधिकार-संविधान में मूलाधिकार की कोई परिभाषा नहीं दी है। इंग्लैंड में मूलअधिकार वे हैं जो बिल ऑफ राइट्स में हैं। अमेरिका में इन अधिकारों को नैसर्गिक कहा गया है जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। भारत में गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायपूर्ति सुब्बाराव ने इन अधिकारों को नैसर्गिक माना है। भारत में मूल अधिकार वे हैं जो संविधान में हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किये हैं। (3) अपराध-देश के कानूनों और नियमों का उलंघन करना अपराध है।

(2) पारिवारिक संबंधों से भिन्न स्त्री-पुरुष के बीच दूरी घटनी चाहिये। किसी को भी दूरी बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं देना चाहिये।

(3) न तो वस्तुएँ महँगी हुई हैं और न निचली आबादी के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ा है। हमारे रूपों की कीमत घटी है।

(4) संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि संसद संविधान के ऊपर है। क्योंकि जब एक बार संविधान की व्यवस्था लागू हो जाती है तो फिर सबको उसका पालन करना पड़ता है। संविधान सर्वोच्च है।

(5) परिवार का संचालक प्राकृतिक रूप से नियुक्त होना चाहिए जैसे शरीर के सभी अंगों का संचालन करने के लिए मस्तिष्क है।

(6) परिवार व्यवस्था में लोकतंत्र आना चाहिये।

(7) राज्य का दायित्व सुरक्षा और व्यवस्था है लोककल्याण सर्वोच्च कर्तव्य है।

(8) सबसे ऊपर राष्ट्र और सबसे नीचे समाज है।

(9) सबसे उपर चोरी, डकैती और लूट है सबसे नीचे जाल साज़ी और धोखाधड़ी का अपराध है। भ्रष्टाचार सबसे उपर और श्रमशोषण की समस्या सबसे नीचे है।

(10) समान नागरिक संहिता समस्त नागरिकों के लिये समान रूप से प्राप्त है और समान आचार संहिता व्यक्ति विशेष के लिये होती है।

(11) व्यक्ति मानव मात्र को माना जा सकता है और नागरिक उसी का माना जाता है जिसे राज्य और संविधान ने नागरिक अधिकार दिये हैं।

(12) 50-50 प्रतिशत।

(7) रविन्द्र सिंग, पत्रकार, गुना, मध्य प्रदेश 41072

ज्ञानतत्व 302 में नरेगा के विरुद्ध दांव पेच पड़ा। नरेगा का अर्थ 100 दिन काम करो, 265 दिन बैठकर खाओ, हो गया है। गरीबी की रेखा ने इसका दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार, अशिक्षा, को बढ़ाया है। आंकड़ों के बल पर चलने वाली योजनाएँ आवारा बेटों को स्वेच्छाचारी बनाती है।

प्रश्न आप करें, उत्तर पाठक खाजे यह नीति ज्ञानतत्व के विस्तार में सरल होगी। इस नीति से पाठकों की विचारशक्ति बढ़गी। ज्ञानतत्व का लक्ष्य विचार विमर्श बढ़ाना होना चाहिए।

उत्तर:-आपने नरेगा का अर्थ यह बताया है कि 100 दिन काम करें और 265 दिन बैठकर खाओं। मैं अपने आस पास के अधिकांश लोगों से यह तर्क सुनता आया हूँ कि सरकार नरेगा अथवा मुफ्त राशन देकर लोगों को श्रम करने से निरुत्साहित कर रही है। उनका यह भी कथन है कि इसके कारण मजदूर नहीं मिलते जिसके परिणामस्वरूप देश का उत्पादन प्रभावित होता है। मेरे विचार में सच्चाई यह है कि उच्च मध्यम वर्गीय या सम्पन्न लोग श्रम खरीदना अपना अधिकार समझते हैं। उन्हें डर है कि यदि श्रम बेचने वाले नहीं मिलेंगे तो वे लोग आराम से घर में बैठकर अथवा केवल बौद्धिक श्रम करके नहीं खा पायेंगे। उन्हें भी श्रम बेचने वालों के अभाव में शारीरिक श्रम करना मजबूरी हो जायेगी। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि बुद्धिजीवी या सम्पन्न लोग भी श्रम करते हैं, भले ही वह भिन्न प्रकार का क्यों न हो। यदि ऐसा सच है तो यदि गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर

जायेंगी तो वे आपके समान ही श्रम क्यों नहीं करेंगे? आप यदि सम्पन्न होने के बाद भी श्रम करते हैं या उत्पादन करते हैं तो कोई कारण नहीं कि दूसरे लोग सम्पन्न होने के बाद घर में बैठ जायें। यह आपका जो तर्क है वह उचित नहीं है।

आपने लिखा है कि आप ज्ञानतत्व में सिर्फ उत्तर देने की अपेक्षा कुछ प्रश्न भी करें और पाठकों को उत्तर देने दें। यह सुझाव मुझे कई लोगों ने दिया और मैंने ज्ञानतत्व के पिछले अंकों में दो बार बारह प्रश्न पुछे। मुझे आश्चर्य है कि उन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ शिवदत्त जी बांदा तथा नान्हूलाल लबाना इन्दौर से ही प्राप्त हुए। यहाँ तक कि आपने भी उन प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा। मैं समझता हूँ कि प्रश्नोत्तर की वर्तमान प्रणाली ही ठीक है।

(8) उमाशंकर यादव, कुशीनगर, ज्ञानतत्व 4204

केन्द्र सरकार द्वारा अभी हाल में ही "मेक इण्डिया" कार्यक्रम घोषित किया गया है इससे आप अपने विचार में क्या समझते हैं। यह कार्यक्रम आम जनता के लिए कितना कारगर साबित होगा? अपना विचार विस्तार पूर्वक रखें।

मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गान्धी जी की जयन्ती के शुभावसर पर स्वच्छता मिशन की घोषणा की गई जो 2019 तक प्रस्तावित है, जिसमें करोड़ों रुपये का बजट आवंटित किया गया है। गंगा जी की सम्पूर्ण स्वच्छता की योजना है। यह कार्यक्रम कितना कारगर साबित होगा? अपना विचार प्रकट करें।

उत्तर:- मैं मोदी जी द्वारा प्रारंभ किये गये अधिकांश कार्यक्रमों से सहमत हूँ। उन्होंने "मेक इन इण्डिया" का जो नारा दिया है वह पूरी तरह ठीक है। मैं जानता हूँ कि स्वदेशी जागरण मंच अथवा ऐसी ही कुछ और संस्थाएँ इस योजना का विरोध कर रही हैं। क्योंकि उनके अनुसार विदेशी कम्पनियों भारत में आयेंगी और भारत से धन कमाकर ले जायेंगी। मैं यह नहीं समझ सका कि हम जो वस्तुएँ विदेशों से आयात करते हैं और अपनी विदेशी मुद्रा उन्हें देते हैं, वे वस्तुएँ यदि वे लोग भारत में ही बना दें तो हमें इससे क्या नुकसान होगा? कम से कम हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और धीरे-धीरे वे वस्तुएँ भारत में सस्ती मिलने लग जायेंगी। यहाँ के लोगो को राजगार भी मिलेगा। वर्तमान में भारत बड़ी मात्रा में विदेशों से युरिया मंगाता है। यदि कोई विदेशी कम्पनी भारत में बना दे तो यह कार्य अधिक बुरा नहीं होगा। विरोध के लिए अन्धविरोध करना कोई अच्छी बात नहीं है।

आपने गंगा सफाई अभियान के बारे में पूछा है तो मेरे विचार में भी नदियों को साफ तो होना ही चाहिये किन्तु मैं यह कहने कि स्थिति में नहीं हूँ कि यह कार्यक्रम कितना सफल होगा या लाभ होगा या नुकसान होगा। क्योंकि मुझे इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी नहीं है।

(9) महामंत्र दास, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, स्कॉन, नई दिल्ली,

माननीय प्रधानमंत्री जी, जय हिन्द, आप धार्मिक सद्भाव, धर्म निरपेक्षता एवं आपसी सामंजस्य के उदाहरण देने लायक प्रतीक हैं। भारत की अखंडता एवं एकता बनाये रखने में आपका योगदान प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, एवं अद्वितीय है। इसी दिशा में हम आपसे एक और कदम लेने का निवेदन करते हैं।

हम धार्मिक सद्भावना एवं विश्व शांति केन्द्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संस्था को 2001 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय एम0एन0बेन्कट चलईया एवं स्व0स्वामी नित्यानन्द सरस्वती जी ने स्थापित किया था। हमारा मानना है कि यदि अमरिका को अर्जुन, चीन को भीम, आस्ट्रेलिया को नकुल और युरोप को सहदेव मान भी लिया जाये तो भी धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार केवल भारत ही निभा सकता है। लिहाजा विश्व धर्म संसद भारत में ही बनना चाहिए, जिसमें एक स्थान पर ही हिन्दुओं, मुसलमानों, इसाईयों, बौद्धों, जैनियों, जूडिज्मों, सिन्टोईज्म, टाईज्मों, पारसियों, बहाइयों, ब्रह्मकुमारियों, सिखों आदि के पूजा स्थलों का निर्माण कराया जाये। इस स्थान से जब सभी धर्मगुरु, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने का आह्वान करेंगे तो मजाल है कि देश में कहीं कोई साम्प्रदायिक दंगा हो जाये। विश्व धर्म संसद एवं इसकी राज्य स्तरीय शाखाओं को स्थापित करने के लिए कम से कम 10 एकड़ भूमि एवं आपके दिली सहयोग की आवश्यकता होगी। क्रियान्वयन करने को हम तैयार हैं।

उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक सद्भावना एवं विश्व शांति केन्द्र ने 26 दिसम्बर 2013 को एक सर्वधर्म सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया। जिसकी सदरत दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन श्री सफदर एच. खान ने की। इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका एवं कार्यक्रम की रिपोर्ट आपके दयालु संज्ञान में लाने हेतु पुनःसंलग्न है। आप से निवेदन है कि इस दिशा में जल्द से जल्द विश्व धर्म संसद की स्थापना के लिए आदेश पारित करने की कृपा करें और राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली अथवा एनसीआर क्षेत्र में धर्म संसद की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करें। वैसे भी आपने बनारस में भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनाने का आश्वासन दिया है।

उत्तर:—मैं धर्मसंसद सम्बंधित आपके सुझाव से सहमत हूँ। एसी धर्म संसद का प्रारूप क्या होगा इस सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे। मेरे विचार में प्रारंभ में कोई पंथ बनता है। धीरे-धीरे जब कोई पंथ कई सौ वर्षों तक टिक जाता है तो वह सम्प्रदाय बन जाता है और जब ऐसा सम्प्रदाय हजारों वर्षों तक सफलतापूर्वक बढ़ता जाता है तब वह अपने को धर्म कहना शुरू कर देता है। आपने हिन्दुओं, मुसलमानों, इसाईयों आदि अनेक सम्प्रदायों की बात की है, तो यह भी विचारना पड़ेगा कि आर्य समाज, गायत्री परिवार आदि को इस श्रेणी में शामिल करेंगे कि नहीं। इन सब मुद्दों पर विचार करने के बाद ही कोई कुछ और आगे सोचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आपके पत्र पर गम्भीर विचार करेंगे।

(10)श्री शिवदत्त,बाधा,बांदा,उत्तर प्रदेश ज्ञानतत्व 7880

ज्ञानतत्व 303 दिनोंक 16-30 नवम्बर में मनरेगा में श्रम मूल्य को लेकर चर्चा हुयी हैं। संविधान तथा न्यायालय के निर्णय का इस सम्बंध में उल्लेख हुआ है। कहा गया है कि श्रम मूल्य उतना होना चाहिए कि किसी की रोटी, कपड़ा मकान की जरूरत पूरी हो सक। इस वक्तव्य में स्वास्थ्य, शिक्षा की अनदेखी की गयी है। बौद्धिक श्रम मूल्य और शारीरिक श्रम मूल्य में अंतर क्यों होना चाहिए? यानी एक मंत्री और उसके संतरी के वेतन में एक इंजीनियर और उसके प्रोजेक्ट में लगे श्रमिकों के श्रम मूल्य में अंतर क्यों होना चाहिए जबकि सारे मनुष्यों की जरूरतें, आशा आकांक्षाएँ एक जैसी है। केवल किसी की सामान्य जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति भर के लिए उसके श्रम का मूल्य चुकाना शोषण, वंधुवा गीरी दासता से मुक्त होने को घोषणा नहीं है। बौद्धिक, शारीरिक श्रम के बीच आदमी की जरूरतों के बीच अन्तर देखना शोषण, वंधुवागीरी, दासता का पहला पाठ है। आखिर कार्य के समान घंटों के लिए समान श्रम मूल्य अथवा वेतन का नियम क्यों नहीं? आर्थिक असमानता आर्थिक आतंकवाद है। बीमार को दवा खरीदने के पैसे नहीं है उसकी मौत निश्चित है। धन कुछ हाथों में सिमट गया दूसरी तरफ अभाव हो गया। अभावग्रस्त लोग भूख बीमारी से मरेंगे जरूर। फिर आतंकवादियों के बम धमाकों से मरने और अर्थाभाव से मरने में अंतर सिर्फ आवाज या धमाके का ही दिखा, बाकी मौत तो मौत ही है। इस संसार की सात अरब आबादी को सिर्फ 100 संसार के धन कुबरे चला रहें है यानी इन के हाथ में इतनी बड़ी आबादी की जिन्दगी का रहना न रहना निर्भर करता है। संसार द्वारा निर्मित भूल भलईया का यह मुख्य द्वार व हिस्सा है।

उत्तर:—मैं नहीं समझ सका कि आपके लिखने का आशय क्या है। आप मजदूर को अधिक मजदूरी दं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। आप श्रम और बुद्धि को समान माने इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है। आप दूसरों को इस बात से सहमत भी करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह तो एक पुण्य का कार्य है। किन्तु आप कानून बनाकर दूसरों को इस बात के लिए मजबूर करें यह बात गलत है। श्रम का मूल्य कितना होना चाहिये यह श्रम बेचने वाला और खरीदने वाला मिलकर तय करते हैं उसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप गलत है। आप मंत्री और सन्त्री को बराबर वेतन देने की दूसरों को सलाह दे रहे हैं। मेरे विचार में यह सिर्फ सलाह तक ही उचित है। व्यवहार में नहीं। आपने शोषण शब्द का उपयोग किया है तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि शोषण सिर्फ असामाजिक कार्य है। न अपराध है न समाज विरोधी, उचित मजदूरी शब्द अनावश्यक है। मैं जेल में था तो वहाँ हम लोग कैदियों को एक या दो रोटी देकर दिनभर काम कराते थे। क्या आप इसे शोषण कहेंगे? एक व्यक्ति भूख से छटपटा रहा है। एक दूसरा व्यक्ति उसे दो रोटी देकर उससे दिनभर काम करा रहा है। आर आप उसे रोटी का एक टुकड़ा देने की अपेक्षा

बाहर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। यह किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नहीं है। धन कुछ हाथों में सिमट गया है। यह बात सही है। किन्तु उसके लिए नोटियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। एक बात और विचारणीय है कि दया करना हमारा कर्तव्य है, आपका अधिकार नहीं। मैं किसी व्यक्ति को अधिक या उचित मजदूरी दूँ यह मेरा कर्तव्य है। उसका लेने वाले का अधिकार नहीं, लेने वाले का अधिकार सिर्फ इतना बनता है कि मैं उससे तय मजदूरी से कम नहीं दे सकता, केवल आदर्श की बात करते रहने से व्यवहार में दिक्कत आती है। बंधुआ मजदूर वही कहाँ जाता है जिसे काम छोड़कर जाने की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ आपने बंधुआ मजदूर क्यों लिखा यह समझ में नहीं आया।

(11) लोकाेश कुमार सिंह, कानपुर, देहात 3984

ज्ञान तत्व पाक्षिक मुझे लगभग आठ माह से बराबर प्राप्त हो रहा है। आपकी बेबाक राय और आपके द्वारा किया गया अनुसंधान भारत देश की पूँजी है। जन जागरण के लिए चलाये जा रहे भ्रमण कार्यक्रम के प्रथम चरण में जहानाबाद में सिसौदिया जी के नेतृत्व में मैं शामिल हुआ था जिससे मुझे काफी कुछ सीखने का मौका मिला तथा समापन कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाने का अफसोस है। महोदय इस समय देश में धर्मान्तरण सम्बंधी चल रहे कार्यक्रम पर आपका एक विस्तृत लेख पढ़ना चाहता हूँ जिस तरह से अपने देश को कम कानून प्रभावी कानून तथा सूक्ष्म मंत्रिमंडल प्रभावी कार्य एवं कानून जुर्म तथा अपराध पर आपके बेबाक विचारों से अधिक प्रभावित हूँ।

उत्तर:- आपने धर्मान्तरण के सम्बंध में प्रश्न किया है। धर्म के दो अर्थ हैं—(1) गुण प्रधान (2) पहचान प्रधान। गुण प्रधान धर्म पहचान प्रधान धर्म से बिल्कुल अलग होता है। हिन्दू धर्म, गुणप्रधान धर्म को मुख्य मानता है तथा पहचान प्रधान धर्म को धर्म न मानकर उसे सम्प्रदाय मानता है। यही कारण है कि भारत में इस्लाम के आगमन के पूर्व सबका धर्म एक ही था सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर को न मानने वाला भी धार्मिक माना जाता था। इस्लाम तथा इसाईयत के आने के बाद सम्प्रदाय और धर्म के बीच घालमेल हो गया। पहचान प्रधान सम्प्रदाय ने अपने को धर्म कहना शुरु कर दिया। अब तक हिन्दू पहचान प्रधान धर्म को सम्प्रदाय ही मानता था और यदि कोई अन्य सम्प्रदाय का व्यक्ति भी गुणप्रधान है तो उसे अलग नहीं मानता था। हिन्दू किसी पूजा पद्धति को धर्म नहीं मानता। आज भारत में साम्प्रदायिक टकराव को धर्मपरिवर्तन की संज्ञा दी जा रही है जो गलत है। फिर भी वर्तमान स्थितियों में विशेषकर इस्लाम को मानने वाले येन केन प्रकारेण संख्या विस्तार की छोनाझपटी में लगे हैं और देश का कानून चुपचाप उन्हें ऐसा करने दे रहा है। ता यह विकट स्थिति है। मेरे विचार में वर्तमान परिस्थितियों में भारत सरकार को कानून बनाकर संख्या बल विस्तार के प्रयत्नों पर रोक लगा देनी चाहिए। मैं स्पष्ट हूँ कि हिन्दू और कुछ सीमा तक इसाई भी इस छोनाझपटी को अच्छा नहीं मानते हैं। किन्तु मुसलमानों का बहुमत इस गलत कार्य का उपयोग करने में दिनरात सक्रिय है तो उनकी सक्रियता पर रोक लगाने के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता है।

(12) अनिल शर्मा, अनिल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश 8105

ज्ञानतत्व 304 प्राप्त हुआ। धन्यवाद। नववर्ष की हार्दिक बधाई। साम्प्रदायिक कौन? धर्म या संगठन लेख विचार प्रधान समसामयिक लेख है, आपकी लेखनी प्रणम्य है। केन्द्र की नयी सरकार के बनने के बाद लोकपाल जैसे विषय ठण्डे बस्तों में चले गये, तो क्या मात्र सत्ता प्राप्ति हेतु ही इन मुद्दों की चर्चा थी?

उत्तर:- आपने लोकपाल के इतिहास पर प्रश्न पूछा है। लोकपाल की व्यवस्था उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार रोकने का एक अच्छा माध्यम है परन्तु उच्चस्तरीय राजनेता जिन्हें संसदीय लोकतंत्र में संसदीय तानाशाही का अधिकार प्राप्त है, वे अपने अधिकार में कोई कमी नहीं आने देंगे। और वही हुआ भी। अन्ना, अरविन्द का आन्दोलन दो अलग-अलग विचारधाराओं को मिलाकर था जिन दो अलग-अलग विचारधाराओं से लोकपाल का आन्दोलन निकला था। अन्ना हजारों विकेन्द्रीकरण के पक्षधर थे और अरविन्द सुशासन के। लोकपाल यदि भारत में आ भी जाता तो कोई स्थायी समाधान नहीं होता क्योंकि लोकपाल को अव्यावहारिक घोषित करने का अंतिम अधिकार उन्हीं लोगों के पास है जो

इसका लाभ उठा रहें है। जब तक संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार संसद के पास रहेगा तब तक इसी तरह आन्दोलन होते रहेंगे और असफल होते रहेंगे। जयप्रकाश जी ने भी सत्ता के अकेन्द्रीयकरण के आन्दोलन को शुरु किया था किन्तु विनोबा भावे के असहयोग के कारण वह आन्दोलन असफल हो गया। अन्ना हजारे का वर्तमान आन्दोलन भी अरविन्द केजरीवाल के कारण असफल हुआ। क्योंकि जयप्रकाश जी के आन्दोलन को राजनेताओं ने सत्ता परिवर्तन की ओर भटकाया तो अरविन्द केजरीवाल न अन्ना आन्दोलन को व्यवस्था परिवर्तन से लोकपाल की तरफ भटका दिया। मेरे विचार से सत्ता के अकेन्द्रीयकरण के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। सुशासन स्वशासन के बाद ही आ सकता है। नरेन्द्र मोदी सुशासन की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहें हैं। किन्तु मेरा मानना है कि सुशासन की अपेक्षा स्वशासन का मार्ग अधिक अच्छा है। स्वशासन के पक्षधर सब लोगों को मिलाकर नरेन्द्र मोदी से यह निवेदन करना चाहिये कि वे परिवार, गाँव, जिले को संवैधानिक अधिकार प्रदान करें। इस कार्य में आप सब पाठकों का भी सहयोग चाहिए। पहले के राजनेता लगभग पेशेवर थे इसलिए उनसे स्वशासन की माँग करना असंभव था। अब नरेन्द्र मोदी के आने के बाद या तो स्वशासन का मार्ग प्रशस्त होगा अन्यथा मोदी को चुनौती देकर आगे बढ़ने का कोई मार्ग निकलेगा। इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक सोचविचार जारी है।

(13) इन्द्रदेव, टिचर्स कालोनी, बुलंदशहर, यु0पी0 8405

आपकी पत्रिका तो छोटी है लेकिन लेख लम्बे-लम्बे होते हैं। हम अभी तक यह समझ नहीं सके हैं कि पत्रिका छापने का उद्देश्य क्या है? आप किस पार्टी या नेता के समर्थक हैं? हमने, हिन्दू सभा वार्ता को आपके यहाँ नौ महिनो से भिजवानी 'शुरु की है। मैं सावरकरवादी हूँ और हम मुर्दा हिन्दू को जगा रहे हैं। आपको अखबार कैसा लगा है? हमारा मोबाइल नम्बर 08958778443 ई मेल की व्यवस्था नहीं है। यु0एन0ओ0 का अनुमान है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 100-150 साल के बाद कोई मुस्लिम तथा राष्ट्रपति कोई इसाई हो सकता है।

उत्तर:- ज्ञानतत्व छापने का हमारा उद्देश्य दो प्रकार का है-(1) दुनियाँ में और विशेषकर भारत में समाज को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रियता, उम्र, गरोब-अमीर, और किसान-मजदूर के नाम पर वर्ग-संघर्ष में बाटकार नफरत फलाने की जो कुचेष्टा हो रही है, ज्ञानतत्व उस कुचेष्टा को असफल करना चाहता है।

(2) ज्ञानतत्व चाहता है कि समाज और राज्य के बीच इस समय जो असन्तुलन है वह असन्तुलन दूर हो।

आपने जो पत्र लिखा है वह भी समाज को धर्म के आधार पर विभाजित करके संख्या विस्तार के लिए है। आप मुर्दा हिन्दूओं में जागृति फैला रहे हैं तो इससे तो 'शरीफ हिन्दू कम जागृत होंगे और अपराधी हिन्दू अधिक। मुर्दा हिन्दू जग जायें और जीवित मुसलमान मर जायें मैं इसे ठीक नहीं समझता। ज्ञानतत्व समान नागरिक संहिता का पक्षधर है न कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, तुष्टीकरण के पक्ष में। ज्ञानतत्व ने 2014 के पहले अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का खुला विरोध किया था। उसी तरह आज ज्ञानतत्व बहुसंख्यक तुष्टीकरण के भी विरुद्ध है। भारत का प्रधानमंत्री हिन्दू हो या इसाई, मुसलमान यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वह शरीफ आदमी है, अपराध रोकने में सक्षम है, समान नागरिक संहिता मानता है, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक की धारणा को अस्वीकार करता है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चोटी वाला है या दाढ़ी वाला। आपने पूछा है कि मैं किस पार्टी का समर्थक हूँ तो सच बात यह है कि मैं सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी का समर्थक हूँ जो चार मुद्दों को लेकर देशव्यापी अभियान शुरु कर रही है।

(1) परिवार, गाँव, जिले को संवैधानिक अधिकार दिये जायें।

(2) लोकसंसद बनाई जायें।

(3) राईट टू रिकॉल लागू किया जायें।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को दो हजार रुपया प्रतिमाह मासिक जीवन भत्ता दिया जायें।

इस सम्बंध में यदि आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप लिखियेगा।

उत्तरार्ध

हमारे कुछ साथियो ने सात अक्टूबर 2014 से 25 दिसम्बर तक की उत्तर भारत के कुछ प्रदेशो की यात्रा की थी जिसका उद्देश्य जग जागरण था । यात्रा का द्वितीय चरण 22 मार्च 15 से शुरू होना है। यात्रा का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

क सं	दिनांक		केन्द्र सयोजक का नाम व पता	फोन न०
1	22/3/15 /	1 बजे	1-श्रुतिवन्तु प्रसाद दुबे, ग्र०पो- डगा बरगवा जि०-सिंगरौली म०प्र०	9179212185
			2-ज्योति स्वरूप दुवेदी ग्र०पो०-पचोर जेल वाला, जि०-सिंगरौली म०प्र०	
2	23/3/	पुरा दिन	श्री अभ्युदय दुवेदी, अधिवक्ता न्यु अधिवक्ता चवेम्बर न०-81 प्रथम तल जिला न्यालय रीवा म०प्र०	9302811720
3	24/3/	9 बजे	नागेन्द्र नाथ बडगैया, वार्ड-13, देवधरा, मैहर सतना, म०प्र० 485771	9755436277
4	24/3/	1 बजे	ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी, वैद्य निवास, पूनम भवन के पीछे, धवारी सतना म०प्र०	9425885964
5	25/3से 27/3तक		1 संजय पस्तूर मण्डल, अध्यक्ष भाजपा टोरीया, पुरा कुल पहाड, महोबा उ०प्र०	9935842256
			2 तुलसीदास दुबे ग्राम+पो-नकरा, (पनवाडी) जिला-महोबा उत्तर प्रदेश	8858202571
6	28/3/	9 बजे	1 प्रो० एस०आर०पोल, अपोजिट रेडियो कालोनी, पन्ना रोड, छत्तरपुर म०प्र०	9425145342
			2 दुर्गा प्रसाद आर्य, गांधी स्मारक भवन, डॉक खाना चौराहा, छत्तरपुर म०प्र०	
7	28/3/	4 बजे	1 डा०जी० पी. गंप्ता एल आइ जी 93/94 गौर नगर मकरौनिया सागर म०प्र०	9993270703
			2 डा०आशिष दुवेदी, इंक मीडिया स्कुल 10 सिविल लाइंस सागर म०प्रव	9926223410
8	29/3	9 बजे सुबह	1 लक्ष्मी नारायण राय, तरीचर कला, जि०-टीकमगढ, म०प्र०	9755491978
			2 धर्मपाल सिंह पटेल, तरीचर कला, जि०- टीकमगढ म०प्र०	
9	29/3/	3 बजे	शिवचरण पाठक, विधायक, पीताम्बर पीठ के पास, दतिया म०प्र०	9425727258
10	30/3/	9 बजे	मनोज भार्गव एड०, विनोद हलवाई के पास, जवाहर गंज मेन रोड, डबरा ग्वालियर म० प्र०	9893892191
11	30/3/	दो बजे	ओ०पी०गुप्ता, हनुमान बजरिया राम मंदिर के पास, स्टेशन रोड, सबल गढ, मुरैना म०प्र०	9425457182
12	31/3	9 बजे	पवन राठौर पुत्र श्री राजा राम राठौर, न्यु बस स्टैड, धुरिया रॉड बैराद, जि०-शिवपुरी म०प्र० 473793	9425796946
13	1/4/	9 बजे	डी०पी० सिंह, ग्र०पो-बम्बूलिया कला त०पीपलदा जि० कोटा राजस्थान 325004	9413003896
14	1/4/	3 बजे शाम	केशरी लाल नागर ग्र०पो इटावा जि० कोटा राजस्थान 325004	9414558097
15	2/4/	10 बजे	अब्दुल हबीब खान, ग्र०-सद्दीकपुरा पो०-दरदा जुरकी जि०-टोंक राजस्थान 304601	8003425014
16	2/4/		1 अमर सिंह आर्य, सी-12, महेश नगर, जयपुर राजस्थान 302015	9887231540
			2ध्रुव सत्य अग्रवाल, अखिल भा० समानता मंच, ए-714, मालवीय नगर, जयपूर राज., 302017	9799384802
			3 ईश्वर दयाल माथुर, 157संतोष नगर, न्यु सांगानेर रोड, जयपुर राजस्थान	9351219348
17	3/4/	9 बजे सुबह	श्याम सुंदर शर्मा, अनुराग सेवा संस्थान, चित्रकूट गणपति नगर, लालसोट, जि०-दौसा राज., 303503	9950993033
18	3/4/	1 बजे	राकेश कुमार शर्मा, आजाद नवयुवक मंडल संस्था, गणेश नगर, दौसा राज० 303303	9461439480
19	4/4/	9 बजे	गंगा राम जी, जागृति ग्रामीण विकास संस्थान, सहारे रोड, डीग भरतपुर, राज.. 321203	9414712892
20	4/4/	3 बजे	श्री शिव तरुण, ग्रा०पो०- इस्माइलपुर, खैरथल, अलवर, राजस्थान 301404	9950112325
21	5/4/	9 बजे	बलबीर सिंह, करुण 67 केशवनगर, अलवर राज०, 301001	9414789838
22	5/4/	2 बजे	कन्हैया मोहन जी, प्रज्ञा भवन, टमकोर, जि० झुनझुनू, राज. 333029	9610709817

23	6/4/		1 महेश जाखड, ग्र0पो-साखू वाया बलारा, सीकर राज0, 332401	9875078384
			2 तारा चन्द्र जाखड, ग्र0पो0-साखू वाया बलारा, सीकर राज. 322401	9660699932
24	7/4/	9 बजे	श्री विनोद कुमार, सारास्वत मिल्क सोप, मेन बाजार, चुरु, राजस्थान	9414351405
25	7/4/	5 बजे	श्री प्रगट सिंह पुत्र सेवक सिंह ग्र0-सुंदरसिंह वाला पो0 लिखमीसर त0-पीलीबंगा जि0हनुमानगढ राज. 335803	9829459866
26	8/4/	9 बजे	उदय करन सुमन, -सुमन सेवा सदन मैडिकल स्टोर, रायसिंह नगर, जि0-गंगानगर राज. 335051	9413617838
27	8/4/	3 बजे	बाबूलाल जी, भंवर लाल ब्रह्मण चक्र, 6 एस एम लीलावाली, पो0-राणेर तह-छत्तरगढ बीकानेर राज.	9950717774
28	9/4/	9 बजे	स्वामी रामानन्द आचार्य(पीठाधीश्वर-मुकाम)पो0-मुक्तीधाम मु0-त0-नौखा जि0बीकानेर राज.	9414712892
29	9/4/	3 बजे	श्री ओम प्रकाश सियाग पुत्र श्री रामनिवास सियाग ग्र0रामनगर पो0गोटन जि0नागौर राज.	9414484908
30	10/4/	9 बजे सुबह	महेन्द्र प्रसाद गोवा, प्लांट न057, राम बाग स्कीम, महामंदिर रेलवे स्टेशन के सामने, जोधपुर राज.	9414827763
31	10/4/	6 बजे	1 मोक्षराज जी, 55/61, उमेद भवन, अलखनंदा कालोनी, वैशाली, अजमेर राज.	8696429696
			2 कुलदीप सूद 20 सी/26 राम यज्ञ, अजमेर 305003	9460359253
			3 निर्मला शर्मा पूर्व सरपंच मु0पो-कादेडा, अजमेर राज.	9414434878
33	11/4/	9 बजे	श्री हरिराम पूनिया, जी-12, सिविल लाइंस, अजमेर चौराहा, भीलवाडा राज.	9829306999
34	11/4/	3 बजे	विक्रमादित्य सिंह झाला, ग्र0पो-सहाडा, भीलवाडा राज. 311806	9414742539
35	12/4/	पुरा दिन	हीरा लाल शर्मा, बंगलौर	9341122800
36	13/4/	पुरा दिन	हीरालाल श्रीमाली पी,बी-28 राजसमंद-313326	
			नरेन्द्र सिंह कछवाहा राष्ट्रीय महासचिव लोक अधिकार मंच 153 चतुर विहार तालाब की पाल मंदिर मार्ग जाट गली काकरोली राजसमंद राजस्थान 313324	9784293919
37	14/4/	9 बजे	1सुरेन्द्र रावल, डायरेक्टर अभिनव सीनियर सेकेडरी स्कूल आदर्श, नगर गायरियावास रोड, उदयपुर राज0	9828164598
			2 प्रमोद कुमार झंवर, 136रूप नगर सें0-3, उदयपुर राज0	9414168532
38	14/4/	3 बजे	श्याम शर्मा एडवोकेट, 153 आदर्श कालोनी, निम्बाहेडा, जि0-चित्तौडगढ राज0	9414109937
39	15/4/	9 बजे सुबह	घनश्याम पाटीदार, ग्र0-बरुजना, पो0-लिम्बावास, जि0-मंदसौर, म0प्र0 452556	9424536866
40	15/4/	3 बजे	श्री डी0पी0मिश्रा एड0, जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने, गरोट मंदसौर म0प्र0 458880	9977739123
41	16/4/	9 बजे	डा0 शिवचरन लाल शर्मा आइ-1 ए ज्वाहर नगर अपोजिट जि0हास्पिटल बांसवाडा रोड अशोक नगर प्रतापगढ राज0	9799290630
42	16/4/	3 बजे	जगदीश चन्द्र मेहता पूर्व प्राध्यापक पैलेश रोड गेट भोजा पालिया बांसवाडा राज0327001	9414101983
43	17/4/	9 बजे	भगवान दास अग्रवाल, एल-86,सुखदा ज्वाहर नगर, रतलाम, म0प्र0 457001	8989467396
44	17/4/	3 बजे	श्री सुभाष व्यास अंगारा, सुभाष मार्ग,1/4 राणापुर, जि0- झाबुआ म0प्र0	9827537827
45	18/4/	10 बजे	जाम सिंह कनौजी , इाइट हास्टल, धार इदौर नाका, धार म0प्र0 454001	7509584433
46	19/4/	9 बजे सुबह	डा0सर्वेश शास्त्री वेदयोग महाविद्यालय गुरुकुल मार्ग केहलारी जावर जि0खण्डवा म0प्र0 450991	9179183833

47	19/4/	4 बजे शाम	1 कीर्तिश धामारिकर 509-सी ब्लॉक संघवी रेजीडेंसी बायपास रोड सहारा सिटी के सामने भिचौली मर्दाना इन्दौर म0प्र0 452016	9827313659
			2 राजेन्द्र तिवारी भारतीय, आर -840,महालक्ष्मी नगर, इन्दौर म0प्र0 452010	9200329324
			3 श्री नयन कुमार राठी, 64 उदापुर नरसिंग बाजार के पास, इंदौर म0प्र0 452002	
48	20/4/	9 बजे	मॉगे लाल सोनी, 20 पदम मोहन कालोनी, स्टेशन रोड देवास, म0प्र0	9329822702
49	20/4/	4 बजे	1 रामकृष्ण पौराणिक 10/8 अलखनंदा नगर विरला अस्तपताल के पास उज्जैन म0प्र0-456010	
			2 रमेश चन्द्र जोशी, 225 L.I.G -II इन्दिरा नगर उज्जैन456001	
50	21/4/	9 बजे	कमल सिंह, पुत्र ओमकार सिंह, ग्र0पो0-कडौदिया जि0-उज्जैन, म0प्र0	9685830204
51	21/4/	6 बजे	श्री अशोक राज वैद्य, चम्पा विहार, बैरसिया भोपाल, म0प्र0 463106	
52	22/4/	9 बजे	प्र0बी0 आर नायक, डी -4 नेहरू नगर, कटोरा भोपाल, म0प्र0 462003	9425600443
53	22/4/	2 बजे दोपहर	श्री राम किशोर गौड, पुत्र बाबू लाल गौड, ग्र0पो0-मिसरोड डोलरिया जि0- होसंगाबाद, म0प्र0 461116	9752763876
54	23/4/	9 बजे	जियालाल मालवीय, महावीर मार्ग, टिकारी जि0-बैतूल म0प्र0 460001	7389675803
55	23/4/	4 बजे	विशाल शुक्ल, ओम साहित्यकार, रेलवे स्टेशन रोड, छिन्दवाडा म0प्र0	9424300896
56	24/4/	9 बजे	दयाल सिंह पारधी, विजय चौक, मडिया वार्ड, बरघाट जि0- सिवनी म0प्र0 480667	9893937812
57	24/4/	4 बजे	श्री अरविन्द अग्रवाल पुत्र श्री गुलाब चन्द्र अग्रवाल, कृषि सेवा केन्द्र, पडाव मण्डला म0प्र0	9425165390
58	25/4/	9 बजे सुबह	डा0 वीरेन्द्र कुमार दुबे, ब्रहमपुरी हाउससिंग सोसायटी एम जी स्कूल के पीछे, हाथी ताल, गणेश्वर जबलपुर म0प्र0	9407000223
59	25/4/	4 बजे	श्री अरविन्द गुप्ता (पत्रकार) मुख्य डाकघर गली, रघुनाथ गंज, कटनी म0प्र0	9329570031
60	26/4/	9 बजे	राजेन्द्र सिंह (एडवोकेट), जिला एवं सत्र न्यायालय, उमरिया म0प्र0	9425472641
61	26/4/	5 बजे	1श्री सीताराम शर्मा वार्ड न0-14 चेतना नगर पेट्रोल पम्प के पीछे, आर0सी0एम के बगल मे अनूपपुर म0प्र0	9669988913 5
			2मुन्नी बाई कहार पेट्रोल पंप के पीछे बस्ति रोड मुकाम पो0 जिला- अनूपपुर म0प्र0 484224	